<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

संख्या एवी.20015/26/2015-एडी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
एडी अनुभाग

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
दिनांक: 08.02.2016

सेवा में,

श्री अजय भाडू,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड,
छठी मंजिल, ब्लॉक संख्या 1 एवं 2, उद्योग भवन,
सेक्टर-11, गांधीनगर - 382017,
गुजरात।

[शुद्धिपत्र]

विषय: गुजरात के अहमदाबाद में नवागाम ग्राम में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 27.01.2016 के उस पत्र का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, जिसके साथ उपर्युक्त विषय के संबंध में 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने का प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया था। यह सूचित किया जाता है कि प्रमाण-पत्र में उल्लिखित तालुका का नाम **धुंधुका** के स्थान पर **धोलेरा** पढ़ा जाए। प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(यू. के. भाटिया)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष-24640217

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, गांधीनगर-382020, गुजरात।
2. श्री अमिताभ कांत, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107।
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।

4. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, सफदरजंग हवाईअड्डे के समक्ष, नई दिल्ली।

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना

आवेदन संख्या:	एवी.20015/26/2015-एडी
आवेदक का नाम:	मैसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (डीआईएसीएल)
पता:	ब्लॉक संख्या 18, आठवीं मंजिल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गांधीनगर-382017, गुजरात।

निर्णय: संचालन समिति ने दिनांक 28.12.2015 को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के अंतर्गत नवागाम ग्राम के निकट ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार एतद्द्वारा गुजरात के अहमदाबाद जिले के धुंधुका तालुका के नवागाम ग्राम में सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के अंतर्गत ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों, यदि कोई हों, द्वारा लगाई गई शर्तों तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान करती है।

'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने की शर्तें

(i) मैसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड को प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 36 माह के भीतर परियोजना के विकास के प्रथम चरण को पूर्ण करना होगा। यदि परियोजना का प्रथम चरण निर्धारित 36 माह की अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया जाता है, तो प्रदान की गई अनुमति, अवधि बढ़ाए जाने की स्थिति को छोड़कर, वापस ली जा सकती है।

(ii) मैसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड परियोजना का एक मास्टर प्लान, जिसमें क्रमबद्ध रूप से किए जाने वाले सभी कार्यों एवं प्राप्त किए जाने वाले सभी माइलस्टोन्स का विवरण हो, नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(iii) मैसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, जहाँ तक संभव हो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दल द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन करेगी।

(iv) मैसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के अनुसार लागत प्रतिपूर्ति के आधार पर सीमा शुल्क, आव्रजन तथा अन्य नामित प्राधिकरणों को आवश्यक अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।

(v) चयनित प्रवर्तक को नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्य विनियामक एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी।

(vi) परियोजना में डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा अपनी रिपोर्ट में अनुशंसित शमन उपायों को सम्मिलित किया जाएगा।

दिनांक: 27.01.2016

(यू. के. भाटिया)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष-24640217